फर्द अहकाम

नियम (26)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी सिकराय

कमला देवी बनाम सुमन देवी

मु0 नं0 15/2016

मुकदमा दावा

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नंबर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
16.03.18	पत्रावली आज पेश हुयी वकील उभयपक्ष उपस्थित । वकील उभयपक्ष की बहस सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया व बहस का मनन किया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात जमावंदी से उक्त विवादित भूमि पक्षकाराण की सहखातेदारी की भूमि होना साबित है। जिसमें वादीगण का भी हक व हिस्सा है वादीगण तकासमा कराने के हकदार है। प्रतिवादीगण दावा प्राथमिक डिक्री कराने के लिए सहमत है। अतः दावा वादी प्राथमिक डिक्री किया जाता है तथा विवादित भूमि खसरा नं0. 283 कुल रकबा 1 बीघा 0.1 बिस्वा वाके रामा गुमानपुरा तहसील सिकराय जिला दौसा का मुताबिक दर्ज हिस्सा जमावंदी एंव सरस नरस के अनुसार बाई मीटस एण्ड बाउण्डस के अनुसार तकासमा करने के आदेश तहसीलदार सिकराय को दिये जाते है तहसीलदार सिकराय तकासमा(बंटवारा) कुरेजात तीन तीन प्रतियों में तैयार कर इस न्यायालय को दिनांक 10.04.2018 से पूर्व भिजवाये। तदनुसार प्राथमिक डिक्री जारी हों। निर्णय मेरें द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायलय मे सुनया गया है।	

(अशोक कुमार त्यागी)

उपखण्ड अधिकारी

सिकराय

उपखण्ड अधिकारी

सिकराय